न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 280 सन 2020

अनवान :–

1. इन्द्राज पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी खूईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित :- श्रीरविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 27/7/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा खूईया के खाता संख्या 13/13 के खसरा न0 487/3 की कुल 2.3530हैक भूमि वर्तमान में वादी के नाम से दर्ज है तथा रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 487/1 की 2.3020हैक ,550/1 की 1.1640हैक 685/1 की 0.9610हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा किया जाकर रोही मौजा खुईया के खसरा न0 487/2 के उपर 487/1 के रूप में 2.3530हैक भूमि पर वादी काबिज चला आ रहा है तथा वादी के कब्जा काश्त में है तथा खसरा न0 487/4 के नीचे 487/3 के रूप में 2.3020हैक भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज चला आ रहा है लेकिन आपसी सहमति से हुए खाता विभाजन में सहवन से नक्शा में 487/4 के नीचे 487/3 और 487/2 के उपर 487/1 दर्ज हो गया जिससे मौका व रिकार्ड में अन्तर हो गया वादी व प्रतिवादी संख्या 1 अपने कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा न0 487 के नीचे 487/1 दर्ज किया जावे तथा वादी के खसरा न0 487/2 के उपर खसरा न0 487/3 दर्ज किया जावे जो खसरा न0 487/1 की बजाय नक्शे में 487/3 अंकित किये जावे 487/3 की बजाय नक्शे में 487/1 अंकित किये जाने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति से खाता विभाजन किया गया था किन्तु सहवन से नक्शा में मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार दर्ज नही हुआ है प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा न0 487 के नीचे 487/1 दर्ज किया जावे तथा वादी के खसरा न0 487/2 के उपर खसरा न0 487/3 दर्ज किया जावे जो खसरा न0 487/1 की बजाय नक्शे में 487/3 अंकित किये जावे 487/3 की बजाय नक्शे में 487/1 अंकित किये जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकवाल जवाब पेश किया जो शामिल मिसल है प्रतिवाादी संख्या 2 की और से पेरोकार राज उपस्थित एवं निवेदन किया की वादी एव प्रतिवादी की आपसी सहमति एवं साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकवाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही वादी राजीनामा के अलावा अन्य साक्ष्य पेश नही करना चाहता जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा खूईया के खाता संख्या 13/13 के खसरा न0 487/3 की कुल 2.3530हैक भूमि वर्तमान में वादी के नाम से दर्ज है तथा रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 487/1 की 2.3020हैक ,550/1 की 1.1640हैक 685/1 की 0.9610हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा किया जाकर रोही मौजा खुईया के खसरा न0-487/2 के उपर 487/1 के रूप में 2.3530हैक भूमि पर वादी काबिज चला आ रहा है तथा वादी के कब्जा काश्त में है तथा खसरा न0 487/4 के नीचे 487/3 के रूप में 2.3020हैक भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काविज चला आ रहा है लेकिन आपसी सहमति से हुए खाता विभाजन में सहवन से नक्शा में 487/4 के नीचे 487/3 और 487/2 के उपर 487/1 दर्ज हो गया जिससे मौका व रिकार्ड में अन्तर हो गया वादी व प्रतिवादी संख्या 1 अपने कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज करवाने का अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकवाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खूईया के खाता संख्या 13/13 के खसरा न0 487/3 की कुल 2.3530हैक भूमि वर्तमान में वादी के नाम से दर्ज है तथा रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 487/1 की 2.3020हैक ,550/1 की 1.1640हैक 685/1 की 0.9610हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है आपसी सहमति से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बाहमी बटवारा किया गया था जिसके अनुसार खसरा न0 487 के उत्तर की तरफ हरीराम और उसके चिपते सोहनलाल व सोहनलाल के दक्षिण में इन्द्राज व इसक दक्षिण में रामचन्द रहेगा किन्तु सहवन से नक्शा में खसरा नम्बर गलत अंकित हो गया जिसे संशोधन करवा कर प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा न0 487 के नीचे 487/1 दर्ज किया जावे तथा वादी के खसरा न0 487/2 के उपर खसरा न0 487/3 दर्ज किया जावे जो खसरा न0 487/1 की बजाय नक्शे में 487/3 अंकित किये जावे 487/3 की बजाय नक्शे में 487/1 अंकित करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी के कथनानुसार संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकवाल जवाब भी पेश किया जा चुका है ।

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा खुईया के खाता संख्या 13/13 की भूमि निम्नप्रकार से संशोधन किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा न0 487/4 के नीचे 487/1 दर्ज किया जावे तथा वादी के खसरा न0 487/2 के उपर खसरा न0 487/3 दर्ज किया जावे जो खसरा न0 487/1 की वजाय नक्शे में 487/3 अंकित किये जावे 487/3 की बजाय नक्शे में 487/1 अंकित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/07/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. इन्द्राज पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी खूईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सोहनलाल पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 280 सन 2020 निर्णय दिनांक– 27/7/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुता एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा खुईया के खाता संख्या 13/13 की भूमि निम्नप्रकार से संशोधन किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा न0 487/4 के नीचे 487/1 दर्ज किया जावे तथा वादी के खसरा न0 487/2 के उपर खसरा न0 487/3 दर्ज किया जावे जो खसरा न0 487/1 की बजाय नक्शे में 487/3 अंकित किये जावे 487/3 की बजाय नक्शे में 487/1 अंकित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/07/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner